उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 98/2024/1707/छप्पन-2024-04/2005 टी0सी0
लखनऊ, दिनांक: 06 नवम्बर, 2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

आजमगढ़ एयरपोर्ट हेतु चयनित स्थल पर ओवर हेड हाई टेन्शन लाइन को भूमिगत किए जाने हेतु धनराशि रू0 5,44,359.00/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन के पत्र संख्या 79/2024/1449/छप्पन-2024-04/2005 टी0सी0 दिनांक 09.09.2024 द्वारा जारी की गयी है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या 191/आर0सी0एस0-2024-ए-2/2018 दिनांक 03.10.2024 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 09.09.2024 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 5,44,359.00/- (रूपए पाँच लाख चौवालीस हजार तीन सौ उनसठ मात्र) का आवंटन जिलाधिकारी, आजमगढ़ के निवर्तन पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा किये गए उक्त अनुरोध के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 09.09.2024 के प्रस्तर-02 में उल्लिखित "इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 25 में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत आजमगढ़ एयरपोर्ट हेतु चयनित स्थल पर ओवर हेड हाई टेन्शन लाइन को भूमिगत किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा धनराशि रू0 5,44,359.00/- (रू0 पाँच लाख चौवालीस हजार तीन सौ उनसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 5,44,359.00/- अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं" को निम्नवत संशोधित किया जार्ता है:-

"इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत आजमगढ़ एयरपोर्ट हेतु चयनित स्थल पर ओवर हेड हाई टेन्शन लॉइन को भूमिगत किए जाने हेतु धनराशि रू0 5,44,359.00/- (रू0 पाँच लाख चौवालीस हजार तीन सौ उनसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 5,44,359.00/- जिलाधिकारी, आजमगढ़ के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शतों। प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं"

तथा प्रस्तर 03 में उल्लिखित "निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,44,359.00/- (रूपए पाँच लाख चौवालीस हजार तीन सौ उनसठ मात्र) तत्काल आवंटित कर सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।" को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

"निदेशक, नागरिक उड्डड्यन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,44,359.00/- (रूपए पाँच लाख चौवालीस हजार तीन सौ उनसठ मात्र) को तत्काल आवंटन कर जिलाधिकारी, आजमगढ़ के निवर्तन पर रखा जाएगा तथा जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।"

4- सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 09.09.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए, सन्दर्भगत शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। यह आदेश पत्रावली में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 98/2024/1707(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
4. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग, नई दिल्ली।
5. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
7. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आजमगढ़ एयरपोर्ट, आजमगढ़।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13 ।
10. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।